न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/121

1. दुर्गाशंकर पुत्र श्री गोपाल जाति माली ।
2. सत्यनारायण पुत्र श्री गोपाल जाति माली ।
3. कन्हैया लाल पुत्र श्री गोपाल जाति माली ।
4. पप्पू पुत्र श्री गोपाल जाति माली ।
5. मन्नी बाई पुत्री श्री गोपाल जाति माली ।
6. बरदी बाई बेवा श्री गोपाल जाति माली निवासीगण अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र बरधा जाति माली निवासी कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. पुष्पाबाई पत्नी स्व0 रामकिशन पुत्री बरधा जाति माली निवासी रेलगॉव तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. कैलाश चन्द पुत्र स्व0 रतनलाल जी जाति माली ।
4. पूरण स्व0 रतनलाल जी जाति माली ।
5. प्रेमबाई पत्नी स्व0 रतनलाल जी जाति माली निवासीगण कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत हक घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादाजी शोबक्श के खातेदारी मं कुल 07 किता की रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा आराजी स्थित है । शोबक्श के तीन पुत्र बरधा, किशना व गोपाल हुए । उक्त आराजी में तीनों का 1/3–1/3

हिस्सा निहित था लेकिन गोपाल अपने ससुराल में घर जवाई चला गया तथा उसको ससुराल की सम्पत्ति प्राप्त होने के कारण गोपाल का समस्त हक शोबक्श की आराजी में समाप्त हो गया तथा किशना की मृत्यु हो गयी । बरधा के बाद शोबक्श की समस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है तथा आराजी का उपयोग व उपभोग सभी की सहमति से करता चला आ रहा है । उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा पिछले 50 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है । गोपाल अपने ससुराल जाने के बावजूद व घर जंवाई रहने के बावजूद भी प्रतिवादी कम 1 से 6 के द्वारा अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके वादग्रस्त आराजी में दर्ज करवा लिया जबकि उक्त आराजी में मात्र 1/3 हिस्सा ही मृतक गोपाल व उसके वारिसान का बनता है । प्रतिवादीगण कम 1 से 6 के द्वारा अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में होने का नाजायज लाभ उठाकर उक्त आराजीयात को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है । ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण कम 1 से 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अनिवार्य है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 से 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण कम 1 से 6 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 का दाव डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2017 को आर्डरशीट में निर्णय अलग से लिखाना वर्णित किया है किन्तु अलग से निर्णय नहीं लिखाया । यहां तक कि आर्डरशीट के अलावा पत्रावली में अलग से निर्णय नहीं है, बिना निर्णय के ही डिक्री बना दी है जो अवैध है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के विवादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का नाम हटाकर वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 का नाम दर्ज करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । सीपीसी की पालना नहीं की गई । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से वादी रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 का वाद स्वीकार कर डिक्री करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी के बाबत् वाद पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते जवाब संशोधित वाद में लम्बित थी और इसे दिनांक 13.06.2017 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में केवल मोहन लाल वादी कम 1 के उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी गुणावगुण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 06.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा